सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 278 / सो.आ.नि.–3 / 503 / 2020
दिनाँक: 26 अगस्त, 2020

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **कोविड–19 महामारी अवधि में महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत समवर्ती सोशल आडिट (Concurrent Social Audit) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अनुसचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पत्र सं0 M-11015/03/2020-RE-III(371554) दिनांक 15–07–2020 द्वारा समवर्ती सोशल आडिट (Concurrent Social Audit) के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश निर्गत किए गए है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

(1) समवर्ती सोशल आडिट के अन्तर्गत सोशल आडिट यूनिट द्वारा सभी कार्यों की प्रत्येक माह सोशल आडिट की जाएगी।

(2) राज्यों की सोशल आडिट यूनिट द्वारा समवर्ती सोशल आडिट सम्पन्न करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को कैलेण्डर प्रेषित किया जाएगा। कैलेण्डर की एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने हेतु सोशल आडिट रिसोर्स पर्सन्स द्वारा, कराए गए कार्यों एवं व्यय की गई धनराशि का परीक्षण सप्ताह के निर्धारित दिवस को किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यकतानुसार अभिलेखों की प्रतियॉ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) समवर्ती सोशल आडिट, रिसोर्स पर्सन्स द्वारा निकटवर्ती ग्राम पंचायतों में की जाएगी।

(5) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा निर्माणाधीन कार्यों के स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें समवर्ती सोशल आडिट के मानको के अनुसार धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(6) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा ग्राम पंचायत के सभी निर्माणाधीन कार्यों की समवर्ती सोशल आडिट की जाएगी तथा देखा जाएगा कि मानक के अनुसार अभिलेखों का रख रखाव एवं निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

(7) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा यह भी देखा जाएगा कि श्रमिकों को प्राप्त होने वाली धनराशि अधिनियम के अनुसार उन्हें मिल रही है या नहीं।

(8) रिसोर्स पर्सन्स द्वारा अपनी रिपोर्ट की एक प्रति कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी।

समवर्ती सोशल आडिट के समय कोविड–19 के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किया जाना

(1) समवर्ती सोशल आडिट के लिए समुदाय से सम्पर्क के समय भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का पूर्णतया पालन किया जाएगा।

(2) समवर्ती सोशल आडिट के समय प्रशासन/विभाग/प्राधिकारी द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों का शत्–प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य है।

(3) भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय अथवा प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/एडवाईजारी का पूर्णतया पालन किया जाना अनिवार्य है।

(4) समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित करने में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त नियमों व निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, किसी भी परिस्थिति में प्रदेश शासन द्वारा महामारी के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अतिक्रमण न किया जाए।

रिर्पोटिंग

(1) समवर्ती सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन को नियमित सोशल आडिट की तरह ही रिपोर्ट किया जाएगा।

2— उपरोक्तानुसार सोशल आडिट सम्पन्न करने हेतु निम्नांकित कार्ययोजना बनाई गई है:—

(1) दिनांक 25—08—2020 को दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0के0टी0, लखनऊ में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं जिला प्रशिक्षण अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सम्बन्धित आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी अथवा संस्थानों के प्रशिक्षक भाग लेंगे।

(2) दिनांक 27—08—2020 को संलग्न विवरण के अनुसार क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में समस्त जनपदों के जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

(3) इन प्रशिक्षण प्राप्त ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स के माध्यम से प्रत्येक विकास खण्ड में वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु चयनित सोशल आडिट टीम सदस्यों का एक दिवसीय समवर्ती सोशल आडिट विषयक प्रशिक्षण दिनांक 02—09—2020 से 04—09—2020 को आयोजित किया जाएगा, जिसकी व्यवस्था जिला विकास अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(4) ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण में टीम सदस्यों को एक दिन के मानदेय के रूप में रू0 175/— दिये जायेंगे तथा भोजन/नास्ता दिया जाएगा। स्टेश्नरी के रूप में टीम सदस्यों को एक फोल्डर, पेन, पैड तथा सोशल आडिट प्रतिवेदन का प्रारूप दिया जाएगा। जिला विकास अधिकारियों को इसके लिये बजट का आबंटन शीघ्र किया जाएगा।

(5) प्रदेश में ग्राम पंचायतों की बड़ी संख्या तथा प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के माह में एक बार निरीक्षण करने के निर्देश को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020—21 में इंगेज किए गए टीम सदस्यों में से 2 सदस्यों की एक समवर्ती सोशल आडिट टीम बनाई जाएगी जिसमें यथासम्भव एक सदस्य पूर्व में सोशल आडिट अनुभव प्राप्त तथा एक नवचयनित सदस्य होगा। इन 2 सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह के बुद्धवार को आबंटित ग्राम पंचायत में समवर्ती सोशल आडिट की जाएगी जिसके लिए निदेशक, सोशल आडिट द्वारा कैलेण्डर निर्गत किया जाएगा। समवर्ती सोशल आडिट प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रारूप पूर्व की भांति दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0के0टी0 द्वारा उपलब्ध कराए जाऐंगे।

(6) टीम सदस्यों द्वारा आडिट रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को उसी दिन दी जाएगी, जिसकी एक प्रति तैयार कर ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को तथा मूल रिपोर्ट अगले कार्यदिवस को जिला विकास अधिकारी/जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर को उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) समवर्ती सोशल आडिट की उपरोक्त व्यवस्था प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप माह सितम्बर से निदेशक सोशल आडिट के पत्रांक 86/सो.आ.नि.—3/501/2020 दिनांक 04—06—2020 के माध्यम से ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स द्वारा की जाने वाली समवर्ती सोशल आडिट की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में अपने जनपद के जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर, ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने का निर्देश देने तथा विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

24.08.2020

(योगेश कुमार)
निदेशक

पत्रांक— /सो0आ0नि0—3/503/2020 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त जिलाधिकारी, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0।

2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0।

3— समस्त उपायुक्त (मनरेगा), (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0।

(योगेश कुमार)
निदेशक